

पत्रांक- SHSB/GA/FP/2291/2017/

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना / दिनांक-

विषय: Extension of the existing PPIUCD incentive scheme also covering Post Abortion IUCD (PAIUCD)

प्रसंग: संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्धसरकारी पत्रांक-
Y-11012/1/2012-FP-II दिनांक 29 मार्च 2017

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक- Y-11012/1/2012-FP-II दिनांक 29 मार्च 2017 एवं संलग्न Annexure-1 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

निदेशित किया जाता है कि संलग्न पत्र में अंकित दिशा-निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह०/-

(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक: SHSB/GA/FP/2291/2017/ 314

दिनांक: 22/04/2017

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी जिला परिवार कल्याण नोडल पदाधिकारी/ACMO, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
6. टीम लीडर, आशा संसाधान केन्द्र, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, स्वास्थ्य-सह-
कार्यपालक निदेशक